लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2018

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से समस्त सहयुक्त विधि महाविद्यालय,
लखनऊ।

विषय : महाविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम की मान्यता व शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सूच्य है कि महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विधि पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सहयुक्तता (अस्थायी/स्थायी) बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के अनुमोदनाधीन होती है अर्थात सहयुक्तता के उपरान्त बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति के उपरान्त ही विधि कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश विधितः मान्य होते हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा विधि सहयुक्त महाविद्यालयों की सूची मांगी गई है।

अतः अनुरोध है कि निम्न प्रारूप पर सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समय से पूर्णता के साथ सूची प्रेषित की जा सके अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा :—

प्रपत्र—ए

बी0सी0आई0 से मान्यता की अद्यतन (updated) स्थिति (पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	**सहयुक्तता की स्थिति स्थायी अथवा अस्थायी** (पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	**प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पत्र संख्या व दिनांक** (पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	**प्राचार्य व शिक्षकों के विवरण विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर उपलब्ध हैं अथवा नहीं**	**प्राचार्य व शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है अथवा नहीं** (सेलरी स्टेटमेंट की प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5

प्रपत्र—बी

बी0सी0आई0 के मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की स्थिति				
क्रमांक	**प्राचार्य एवं शिक्षकों के नाम**	**अनुमोदित**	**अनानुमोदित**	**अनुमोदन पत्र संख्या व दिनांक** (पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : AF-2746-50 दिनांक : 08/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद।
4. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त विधि महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

(एस0के0. शुक्ल)